भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1528

दिनांक 07.12.2021/ 16 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदा

1528. श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री संजय जाधवः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2020 और 2021 के दौरान महाराष्ट्र के कई जिलों को असामान्य रुप से भारी वर्षा, बेमौसम बारिस और विभिन्न चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिलों में उक्त प्राकृतिक आपदाओं से हुई कुल हानि और सरकार द्वारा उक्त हानि की भरपाई के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(ग) भारी वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, आदि के कारण प्रभावित परिवहन और दूरसंचार सेवाओं को फिर से शुरु करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार एन.डी.आर.एफ. के तहत किसानों को उनके पशुओं के नुकसान की भरपाई के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र को वित्तीय प्रावधान के तहत आवंटित धनराशि की राशि कितनी है और एन.डी.आर.एफ. के तहत विशेषरुप से यवतमाल-वाशिम के लिए जारी की गई धनराशि की मात्रा कितनी है; और

(च) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एन.डी.आर.एफ. के तहत उक्त जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, राहत के उपाय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई मदों और मानदंडों के अनुसार अपने पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

(एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है, न कि हुई/दावा की गई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए।

उल्लेखनीय है कि राज्य के एसडीआरएफ में आबंटन सम्पूर्ण राज्य के लिए किया जाता है, न कि जिला-वार तथा चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन सहित किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, अनुमोदित मदों और मानदंडों तथा जमीनी स्थिति की गंभीरता के अनुसार विभिन्न प्रभावित जिलों को एसडीआरएफ से निधियां संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान/वितरित की जानी होती हैं। यह मंत्रालय क्षति और राज्यों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों को प्रदान की गई जिला-वार वित्तीय सहायता से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को एसडीआरएफ/राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) और एनडीआरएफ के तहत वर्ष-वार आबंटन और जारी राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**एसडीआरएफ/एसडीआरएमएफ के तहत आबंटन**	**एसडीआरएफ/एसडीआरएमएफ में जारी केंद्र का हिस्सा**	**एनडीआरएफ से जारी राशि**
2020-21	4296.00*	3222.00	420.12
2021-22 (आज की तारीख तक)	3436.80	2577.60	701.00

*इसमें राज्य आपदा उपशमन निधि (एसडीएमएफ) हेतु निधियों का 20% शामिल है।

इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए बाढ़ से हुई क्षति के आकलन हेतु अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) भेजने का अनुरोध किया है। आईएमसीटी का गठन कर दिया गया है और इसने 3 से 6 अक्टूबर, 2021 तक राज्य का दौरा किया था। आईएमसीटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

******